

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 54/19 ता० रजु. 16-9-19 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 26-9-19

सरकार

बनाम

~~अमरसिंह पुत्र अरोली चाकड़ बृम्हवाड़~~

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का ~~बृम्हवाड़~~ ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम ~~बृम्हवाड़~~ के खसरा न० 399 रकवा 0.49 हैक्ट में से रकवा 0.04 हैक्ट किरम भूमि ~~आरागाह~~ पर सम्वत 2076 में श्री ~~अमरसिंह पुत्र अरोली चाकड़ बृम्हवाड़~~ तह० बयाना ने ~~काजरा कर~~ अतिक्रमण कर लिया है।


हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय ~~आरागाह~~ भूमि पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण किया जाना साबित होता है अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 399 रकवा 0.04 हैक्ट वाके ग्राम ~~बृम्हवाड़~~ से बेदखल किया जाता है। लगान 0.64 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 32/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 26-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

एक बयानवाली का नाम जानक
क. नं. 04 के बयान नं. 15
दिनांक 30/9/19 को बयान 20/9/20
पैनल्टी रु. 32 का बयान नीलामी
को वा मुको है।

बहुतीय राजेश्वर प्रसाद
तहसीलदार


तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

